न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन कमांक 96/18

मिथुन पुत्र भैयालाल आयु 20 वर्ष निवासी डिग्री कॉलेज के पास गोहद रोड़ गोहद चौराहा परगना गोहद जिला भिण्ड. म.प्र.

——-आवेदक

विरुद्ध

पुलिस थाना गोहद

---अनावेदक

14-03-2018

पीठासीन अधिकारी के ट्रेनिंग पर होने से प्रकरण मेरे समक्ष पेश। आवेदक / अभियुक्त मिथुन की ओर से श्री अरविंद शर्मा अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य की ओर से श्री बीoएसo बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित।

थाना गोहद के अपराध कमांक 39 / 18 अंतर्गत धारा—34(2) म0प्र0 आबकारी अधिनियम की कैफियत व केस डायरी प्राप्त।

आवेदक के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—439 दं०प्र०सं० के साथ में आवेदक मिथुन के मित्र रिव पुरोहित उर्फ रिवकान्त का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र एवं आवेदन में यह व्यक्त किया गया है कि यह आवेदक का प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—439 दं०प्र०स० है। इस प्रकृति का कोई अन्य आवेदन समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। केस डायरी से भी ऐसा ही स्पष्ट है।

आवेदक के जमानत आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।

आवेदक की ओर से व्यक्त किया है कि आवेदक के विरुद्ध थाना गोहद द्वारा असत्य घटनाकम का वर्णन करते हुए आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। जबिक आवेदक को उक्त अपरध से कोई संबंध और सरोकार नहीं है। उक्त झूठे अपराध में आवेदक न्यायिक अभिरक्षा में होकर उपजेल गोहद में बंदी है। आवेदक मजदूर पेश व्यक्ति होकर संभ्रांत नागरिक है। पुलिस द्वारा आवेदक के विरोधियों के बहकावे में आकर उक्त झूठा अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आवेदक अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला एक मात्र व्यक्ति है, यदि आवेदक को अधिक समय तक न्यायिक निरोध में रखा गया तो उसके परिवार के समक्ष भरण पोषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आवेदक को कोई भी आपराधिक रिकार्ड नहीं है। उक्त आधारों पर आवेदन स्वीकार कर जमानत

पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की है।

राज्य की ओर से घोर विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 05.03.2018 को आवेदक / अभियुक्त मिथुन लोहपीटा एवं सहआरोपी ब्रजमोहन सिंह उर्फ राजू के आधिपत्य से मौ रोड नहर की पुलिस के पास मुखबिर की सूचना पर वाहन चेंकिंग के दौरान वाहन क्रमांक एम.पी.-07-सी.डी.-8219 महिन्द्रा थॉर में 13 पेटी बियर कुल 117 लीटर बियर (शराब) जप्त की गई। आवेदक की ओर से यह आधार भी लिया गया है कि बियर में सात प्रतिशत एल्कोहल होता है इस कारण वह मदिरा में नहीं आती है। परंतु म०प्र० आबकारी अधिनियम 1915 की धारा-2(13) के अनुसार मदिरा के अंतर्गत बियर भी आती है। ऐसे समस्त तरल पदार्थ जो एल्कोहल से बने हों, या जिसमें एल्कोहल हो, तथा कोई भी ऐसा पदार्थ जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मदिरा घोषित करे, मदिरा के तहत आते हैं। इस प्रकार जप्त शराब की मात्र 50 बल्क लीटर से अधिक है। अतः मामले की संपूर्ण परिस्थितियों, तथ्यों तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

केस डायरी आदेश की प्रति के साथ वापिस की जावे। नतीजा दर्ज करने के बाद यह आदेश पत्रिका एवं जमानत प्रपत्र अभिलेखागार में भेजा जावे।

> (मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड